पीयर-रिव्यूड जर्नल
जर्नल वेबसाइटः
https://anubodhan.org

अनुबोधन, खण्ड 2, अंक 3, जुलाई–सितम्बर 2026, पृष्ठ 11–18
ISSN: 3049-4184 (प्रिन्ट) 3108-1185 (ऑनलाइन)
https://doi.org/10.65885/anubodhan.v2n3.2026.092

मृच्छकटिकम में वर्णित राजनीतिक चिंतन एवं संस्थाएं: एक अवलोकन

डॉ० मल्लिका मंजरी *

प्राप्तिः 8 जुलाई 2026 / स्वीकृतः 16 जुलाई 2026 / प्रकाशित ऑनलाइन: 23 जुलाई 2026
Copyright © 2026 Author(s). Published by Siri Research Foundation. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

सारांश
भारतीय साहित्य में संस्कृत साहित्य सर्वप्राचीन, विस्तीर्ण और विविधतापूर्ण रहा है। इस भाषा में साहित्य की सारी विधाओं– गद्य–पद्य आदि एवं ज्ञान की समस्त शाखाओं– राजनीति, दर्शन, गणित–ज्योतिष चिकित्सा, रसायन, कथा, काव्य आदि में साहित्य रचना की गयी। इनमें राजनीतिपरक ग्रंथों की बहुत ख्याति है जिनमें प्राचीन भारतीय जन की राजनीतिक चेतना, विचार, प्रशासनिक संस्थायें, उनकी कार्यविधि का पता चलता है पर कई ऐसे भी साहित्य हैं जो राजनीतिक साहित्य नहीं हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्राचीन भारतीयों की राजनीतिक चेतना और संस्थाओं की जानकारी देते हैं। मृच्छकटिकम ऐसा ही साहित्य है जो है तो नाट्य साहित्य पर वह प्राचीन भारतीय समाज–संस्कृति एवं राजनीति की जानकारी देता है।

मृच्छकटिकम शूद्रक रचित नाटक है जो संस्कृत का पहला सामाजिक नाटक है। इसमें अभिजात्य या समृद्ध वर्ग के बजाय साधारण जन जीवन की झांकी है। एक व्यापारी जो अपनी संपत्ति खो चुका है वह एक विवाहित होकर भी एक नर्तकी को चाहता है। उस नर्तकी पर उस नगर के राजा के साले की नजर थी। और घूमते घटनाक्रम के चक्र ने उस व्यापारी को उसी नर्तकी की हत्या का आरोपी बनाया और ऐन मृत्युदंड के समय वास्तविक अपराधी का भेद खुला और वास्तविक अपराधी पकड़ा गया। इस सब से उद्विग्न नगरजन सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। यानि दो प्रेमियों का मिलन–बिछोह और पुनर्मिलन इन्हीं सब विवरणों में तत्कालीन समय में प्रचलित राजनीतिक चिंतन, शासन स्वरूप, संस्थाओं और कार्यविधि की झलक मिलती है।
बीजशब्दः भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक संस्थाएं, मृच्दकटिकम, शूद्रक, नाटक।

साहित्य का क्षितिज सर्वप्राचीन एवं विस्तीर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य का स्वरूप विविधतापूर्ण रहा है। गद्य, पद्य एवं चंपू साहित्य की तीनों विधाओं में इस भाषा में विविध रचनाएं रची गईं। काव्य, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, लघुकथाएँ, वृहत्कथायें, प्रहसन, प्रशस्ति, नीतिग्रंथ, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित आदि सहित धार्मिक एवं धर्मेतर साहित्य प्रचुर संख्या में रचे गए। राजनीतिपरक साहित्यों यथा– अर्थशास्त्र, स्मृतिग्रंथों, कामंदक नीतिसार आदि में प्राचीन भारतीयों के राजनीतिक विचारों एवं व्यवस्थाओं पर लेखन किया गया। इनमें प्राचीन भारतीयों के राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति तो है ही, कथा साहित्य में भी इसका प्रक्षेपण बहुतायत देखने को मिलता है। उनमें भी अपने समय की राजनीति, राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं की चर्चा मिलती है।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार
✉ डॉ० मल्लिका मंजरी, E-mail: mallikabhagalpur@gmail.com

महाकवि शूद्रक रचित नाटक मृच्छकटिकम एक ऐसा ही संस्कृत साहित्य है जिसमें अपने समकालीन देश विभाजन समाज के विविध पक्षों के साथ– साथ उस काल के राजनीतिक विचारों का भी प्रक्षेपण हुआ है। मृच्छकटिकम यों तो ललित साहित्य है जिसमें मूलतः दो प्रेमियों के मिलाप, बिछोह एवं पुनर्मिलन की कहानी है परन्तु उसमें प्रसंगवश कई स्थलों पर तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक विचारों, अधिकारी वर्ग, प्रशासनिक कार्यों एवं इन सबके प्रति तत्कालीन जन के दृष्टिकोणों का भी विवरण है।

मृच्छकटिकम स्वयं को राजा शूद्रक की रचना घोषित करती है[1] जिनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध एवं विवादित रही है। कई विद्वानों यथा, डॉ. पिशेल, डॉ. सिल्वा लेवी आदि ने मृच्छकटिकम को शूद्रक की रचना मानने से इंकार किया है। डॉ. पिशेल ने इसे दण्डी[2], लेवी ने किसी अज्ञात कवि[3] को एवं डॉ. ए० बी० कीथ ने इसे मूलतः भास की रचना दरिद्र चारुदत्तम में की गयी साहित्यिक छेड़छाड़ से विकसित रचना माना है।[4] इन तीनों विद्वानों ने शूद्रक को कोई ऐतिहासिक व्यक्ति मानने से भी मना कर दिया है।[5]

वस्तुतः भारतीय इतिहास में शूद्रक नाम के एकाधिक व्यक्ति हुए हैं। विभिन्न समय पर रचित साहित्यों में स्थान–स्थान पर शूद्रक नामक व्यक्ति का न सिर्फ उल्लेख हुआ है बल्कि उसकी पृथक पृथक कहानियां भी दी गई हैं। जैसे– स्कंद पुराण, दण्डी रचित दशकुमारचरित, बाणभट्ट रचित हर्षचरित एवं कादंबरी आदि में राजा शूद्रक नामक व्यक्ति का उल्लेख भी आया है।[6] प्रोफेसर स्टेनकोनो ने कथासरित्सागर के आधार पर इन्हें आभीरवंशी[7] एवं पंडित चंद्रबलि पांडेय ने आंध्र या सातवाहन वंशी नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी माना है।[8] आचार्य जगदीश चंद्र मिश्र ने मृच्छकटिकम की अपनी व्याख्या में यह मत प्रकट किया है कि वस्तुतः शूद्रक एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो उदयन की भाँति बाद की लोककथाओं के नायक बन गए एवं उनके नाम से कई कहानियाँ प्रचलित कर दी गई।[9]

मृच्छकटिकम का काल निर्धारण भी इसके प्रणेता की भाँति विवादित रहा है। चंद्रबलि पांडेय ने इसे प्रथम शती ई. का माना है।[10] एम० आर० काले ने नाटक में प्रस्तुत विभिन्न प्रसंगों यथा बौद्ध धर्म की स्थिति, ज्योतिष संबंधी मान्यता कि बृहस्पति का शत्रु मंगल ग्रह है, वैशिकी कला, पात्र विशेष जैसे स्त्री व दास–दासियों द्वारा प्राकृत बोलने के नियम न होने, नाटक में प्राकृत बोलने के नियम न होने एवं नाटक में प्राकृत भाषा के अविकसित रूप आदि के कारण इसे प्रथम सदी के पूर्व की रचना माना है।[11] परन्तु डॉ. कीथ एवं जैकोबी ने इसे कालिदास के बाद की रचना माना है।[12] सर्वमान्य रुप में यह स्थापना मानी जाती है कि यह ग्रंथ 300 ई० पू० से अधिक प्राचीन नहीं है एवं 600 ई० से अधिक अर्वाचीन नहीं है।[13] वैसे विद्वानों का बड़ा वर्ग इसे गुप्तोत्तरकालीन रचना मानता है क्योंकि इसमें वर्णित अस्त–व्यस्त राजनीतिक अवस्था प्रायः उस काल से सादृश्य रखती है।[14]

मृच्छकटिकम में उसके कथानक द्वारा तत्कालीन देश–काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का भी चित्रण हुआ है। विशेषकर मृच्छकटिकम में वर्णित राजनीतिक स्थिति एवं विचार अपने समय को स्वर देते हैं। मृच्छकटिकम में वर्णित तत्कालीन व्यवस्था एवं जनजीवन की स्थिति पर स्वयं इसके रचनाकार ने जो टिप्पणी दी है वह एक अन्यायी एवं अविवेकी राजा द्वारा संचालित राज्य की दुरवस्था को प्रदर्शित करता है जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ तक कि गणिका भी सदैव त्रास से व्याकुल रहती है।[15] जहाँ चोर उन्मुक्त होकर किसी भी नागरिक के घर सेंध लगा लेता है[16], राजसंबंधी खुलेआम असभ्यता दुराचार एवं अत्याचार का प्रदर्शन करते हैं।[17] राजकर्मचारी उचित ढंग से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और तो और न्यायाधीश तक राज संबंधियों के भय से इतने भयभीत रहते हैं कि उसके भय से वे किसी घटना की ठीक से जांच भी नहीं करते बल्कि उनके दबाव में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की आज्ञा सुना देते हैं।[18] ऐसे अराजक वातावरण में शासक राजा पालक अपनी यज्ञशाला में यज्ञ में तल्लीन रहता है[19] और परिस्थितियों के अनन्तर उसी का एक बंदी गोपाल आर्यक उसका वध कर सत्ता परिवर्तन करता है और राज्य को इस अन्यायी व्यवस्था से मुक्ति दिलाता है।[20]

उपरोक्त वर्णनों के बीच तत्कालीन भारतीय जनमानस में व्याप्त राजनीतिक विचार, राजसंस्थायें एवं उसके प्रति जनमानस का दृष्टिकोण भी अच्छी तरह प्रतिबिंबित होता है। इन्हें निम्नवत रुप में व्यक्त किया जा सकता है–

(अ) मृच्छकटिकम में राजतंत्र शासन व्यवस्था वाले राज्य का विवरण है जिसमें परंपरा से राजा को राज्य के शासनतंत्र का सर्वेसर्वा माना गया है। वही राज्य का पालक, मुख्य न्यायाधीश[21] एवं प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था जिसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य था। वह अपने आदेश से एक गणिका को वधू बना देने का भी अधिकार रखता था।[22] वह सबसे सेवित होने योग्य था।[23]

(आ) मृच्छकटिकम में तत्कालीन प्रजाजनों द्वारा राजपद को वरीयता देने की बात दिखाई गई हैं न कि किसी व्यक्ति विशेष को। राजपद एक दायित्वपूर्ण पद बताया गया है जिस पर आसीन व्यक्ति यदि दायित्वों का निर्वहन न करे तो वह प्रजा की प्रशंसा का नहीं बल्कि निंदा का भागी होता था।[24] यदि राजपद पर आसीन व्यक्ति पूर्णतः निष्क्रिय, अक्षम या अन्यायी हो जाये, अपने कर्त्तव्यों से मुंह मोड़ ले तो उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ता था।[25] महाभारत एवं मनुस्मृति आदि में वर्णित प्राचीन भारतीय राजशास्त्रकारों द्वारा प्रदत्त व्यवस्था कि– ''अन्यायी राजा को सत्तासीन होने का कोई अधिकार नहीं।[26] उसे सत्ताच्युत कर एक न्यायी शासन की स्थापना की जाय'' को मृच्छकटिकम के नाटककार अपना समर्थन दिया है।[27]

(इ) मृच्छकटिकम से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक रूप में वर्णित सत्ता परिवर्तन में प्रजाजनों की सक्रिय भागीदारी एवं समर्थन भी था जिसे कथानायक चारुदत्त द्वारा गोपाल आर्यक का साथ देने की घटना के रूप में वर्णित किया गया है।[28] चारुदत्त खुलकर राजा पालक को अविमृश्यकारी यानि बिना विचारे काम करने वाला कहता है[29] और गोपाल आर्यक की सहायता भी करता है।[30] इतना ही नहीं राजकर्मचारी लोग भी गोपाल आर्यक का साथ देते हैं। बंदी गोपाल आर्यक की जब जगह जगह खोज की जा रही थी तब खोजकर्ता चंदन उसे देखकर भी न सिर्फ छोड़ देता है[31] बल्कि उसकी सुरक्षार्थ उसे खड्ग भी देता है।[32] यहां तक कि वधस्थल के चांडाल भी राजपरिवर्तन की बात करते हैं।[33]

(ई) मृच्छकटिकम में शासन के न्यायपूर्ण स्वरूप पर बल देते हुए यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि यदि शासक न्यायी हो व दायित्वों का पालन करे तो अधीनस्थ कर्मचारी भी अपने कार्य सही से करते हैं अन्यथा अच्छे शासक के अभाव में वे भी शिथिल हो जाते हैं।

(उ) मृच्छकटिकम में सत्ता हस्तांतरण के नियम भी प्रस्तुत किये गये हैं। ये हैं–

(क) राजा स्वेच्छा से अपने पुत्र को राज्याधिकार देता था।[34]

(ख) विद्रोह द्वारा सत्ता परिवर्तन जैसा राजा पालक के साथ हुआ था। उसे हटाकर गोपाल आर्यक राजा बनाया गया।[35]

(ग) स्वेच्छा से दान द्वारा जैसे कि गोपाल आर्यक चारुदत्त को उज्जैन का राजा बनाता है।[36]

(ऊ) मृच्छकटिकम से हमें राजव्यवस्था के निम्नांकित पद एवं पदाधिकारीगण का पता चलता हैः–

राजा– शासन या राज्य का प्रमुख

मंत्री[37]– राजा का सलाहकार

दण्डपाल[38]– सेना का उच्च अधिकारी

अधिकरणीक[39]– मुख्य न्यायाधीश

दण्डधारक[40] एवं भट्टक[41]– न्यायाधीश

द्यूताध्यक्ष[42]– जुएखाने का प्रमुख

सभिक[43]– जुआखाने का रिकॉर्ड रखने वाला कर्मी

राष्ट्रीय [44]– नगराध्यक्ष

शोधनक[45]– न्यायालय की व्यवस्था देखने वाला

रक्षिण[46]– पुलिस

दूत– संदेशवाहक

गुप्तचर[47]– जासूस

महत्तर[48]– जाति का मुखिया

कुलपति[49]– विहार का प्रमुख

श्रेष्ठी[50]– व्यापारी श्रेणी का अध्यक्ष

सार्थवाह[51]– सार्थ या व्यापारिक काफिले का प्रमुख

कायस्थ[52]– न्यायाधिकरण का लिपिक
द्वारपाल[54] या दौवारिक[55]– दरबान
सेनापति[55]– सेना का प्रमुख
बलपति[56]– सेनापति का उच्चस्थ अधिकारी
गुप्ति पालक[57]– काराध्यक्ष या कारागार पदाधिकारी
अधिकरण–भोजक[58]– न्यायधिकारीगण

(ए) मृच्छकटिकम में अपराध व न्याय प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन मिलता है। मृच्छकटिकम के अनुसार तत्कालीन समय में निम्न अपकृत्य अपराध की श्रेणी मे गिने जाते थे–

(क)चोरी[59]–किसी व्यक्ति के धन या मूल्यवान वस्तु को चुराना। मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त पर उसकी प्रेमिका वसंतसेना के आभूषणों की चोरी का आरोप लगता है।

(ख) सेंध मारना[60]–मृच्छकटिकम में नायिका वसंतसेना की दासी का प्रेमी शार्विलक अपनी प्रेमिका को दासत्व से मुक्त कराने के लिए नायक चारुदत्त के घर चोरी के प्रयोजन से सेंधमार कर घुसता है और वहां से वसंतसेना के गहने उठा लाता है।

(ग) नारी हत्या[61]– मृच्छकटिकम के आठवें अंक में खलनायक राजश्याल शकार वसंतसेना की हत्या करने का स्वयं प्रयास करता है और उसे मृत समझकर उसकी हत्या का आरोप नायक चारुदत्त पर लगाता है। बाद में सत्य प्रकट होने पर शकार पर ही नारीहत्या का आरोप लगाया जाता है और उसको दंड दिलाने की बात की जाती है।

(घ) शासकीय पदाधिकारी से विवाद व मारपीट करना एवम उसके कार्य में विघ्न डालना[62]– मृच्छकटिकम के छठे अंक में बलपति वीरक चारुदत्त के शकट की जांच करने से रोकने पर और मारपीट करने अपने सहयोगी शासकीय पदाधिकारी चंदनक से न्यायाधिकरण में इस आशय का अभियोग लगाकर चंदनक उसको अंग–भंग का दंड दिलवाने की बात कहता है।

(ङ) राजशत्रु की सहायता करना[63]– मृच्छकटिकम में राजा के शत्रुओं की किसी भी प्रकार से सहायता करना जैसे, उसे छिपाना, उसके प्राण बचाना, उसको पुलिस से बचाना एवं उसे अपने यहां शरण या आश्रय देना अपराध की श्रेणी में गिना गया है। इसलिए मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त और शासकीय पदाधिकारी चंदनक विद्रोही गोपाल आर्यक को राजा पालक के जांचदल व पदाधिकारी से बचाते हैं। चंदनक आर्यक को चारुदत्त की बैलगाड़ी में पाकर भी उसकी प्राणरक्षा की विनती से पिघल जाता है और उसकी पहचान छिपाता है। यही नहीं वह उसे उसकी सुरक्षार्थ अपनी तलवार भी देता है। इसी प्रकार चारुदत्त आर्यक को अपनी बैलगाड़ी में छिपाता है और उसके हाथ–पाँव में पड़ी बेड़ी को भी फिंकवा कर उसके बंदी होने के प्रमाण को भी मिटाता है। उसे गाड़ी से ही दूर भिजवा देता है। और जब चारुदत्त न्यायाधिकरण से बुलावा आता है तो वह पहले यही सोचता है कि उसने राजशत्रु आर्यक को पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचाया है। कहीं पालक ने इसलिए तो उसे नहीं बुलवाया?

(च)राजा से द्रोह करना[64]– मृच्छकटिकम के अनुसार राजा की आज्ञा का पालन न करना, राज्य के नियमों की अवहेलना करना, उसका विरोध करना, उसकी सत्ता के विरुद्ध कार्य करना, या राजा की सत्ता के लिए किसी प्रकार का संकट खड़ा करना राजद्रोह के अंतर्गत आता था। गोपाल आर्यक के विषय में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह राजा बनेगा तो इसी पर उसे अपने लिए संकट जानकर राजा पालक ने गोपाल को बंदी कर बंदीगृह में डलवा दिया था। अभियुक्त को न्यायालय 'जिसे अधिकरण[65] कहा गया है' में लाया जाता था। वहां न्यायाधीश के पद पर अधिकरणीक, उसके अलावे श्रेष्ठी व्यापारी, श्रेणी के प्रमुख, दो अन्य अग्रणी नागरिक एवं एक लिपिक जिसे कायस्थ कहते थे होते थे। अभियुक्त को न्यायाधिकरण के व्यवहार मंडप[66] में लाकर न्यायाधीशों के समक्ष उसके अपराध का वर्णन किया जाता था[67] जिसे कायस्थ नामक लिपिक लिखकर रिकॉर्ड में दर्ज करता था।[68] इसके बाद अपराधी से अपराध के विषय में पूछताछ की जाती थी।[69] गवाहों से पूछताछ की जाती थी[70] विष, जल, अग्नि और तुला आदि की दिव्य परीक्षा की जाती थी[71]। याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में इसकी विधि विस्तार से मिलती है।[72] याज्ञवल्क्य स्मृति में इन विधियों का प्रयोग अभियुक्त के दोष परीक्षण हेतु, किये जाने का उल्लेख मिलता है। उक्त स्मृति में इस सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मृच्छकटिकम में याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित विधियों का ही सार संक्षेप है।

(क) सम्भावित अपराधी को विष खिलाया जाता था पर निष्पाप होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था।
(ख) ऐसे व्यक्ति को नाभिपर्यन्त जल में लगातार उतने समय तक डुबकियाँ दी जाती थी, जितने समय तक कोई वेगवान धनुर्धारी तत्काल फेंके गये बाण को ले आता था। यदि वह सत्य में अपराधी होता था, तब तो डूबता था अन्यथा नहीं।
(ग) ऐसे व्यक्ति को तुला के एक पलड़े में बिठाकर उसके भार के तुल्य बाटों से उसे तोला जाता था।
(घ) ऐसे व्यक्ति के हाथ पर अभिमन्त्रित पीपल के सात पत्ते सूत्र से बाँधे जाते थे, और फिर उस पर नियतकाल तक तपा हुआ लोह गोलक रखा जाता था, यदि वह निष्पाप होता था तो नहीं जलता था।
(ड़) चौदह दिन पूर्व जिसे राजा या दैव से कोई दुःख न प्राप्त हो शुद्ध उसे भी समझा जाता था।

मृच्छकटिक से प्रतीत होता है कि यदि अधिकरणिक के समक्ष वाद के निर्णय के लिये पर्याप्त सामग्री होती थी, तो वह इन दिव्य परीक्षा के साधनों का आश्रय नहीं लेता था और सीधे राजा के पास अन्तिम निर्णय के लिये अभियोग को अपनी संस्तुति के साथ भेज देता था। अलग अलग अपराध का अलग–अलग दंड तय था। जुए के पैसे न चुकाने पर उल्टे लटकाने, सड़क पर घसीटने, अपराधी पर कुत्ते छोड़ने का दंड दिया जाता था।[73] सरकारी कर्मचारी से विवाद व उसके कार्य में व्यवधान होने पर अंग–भंग, बेंत से पिटाई, बहिष्कार, जुर्माने की सजा दी जाती थी।[74] हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था।[75] ब्राह्मण को दिया जाने वाला सबसे बड़ा दंड देशनिकाला था।[76] मृच्छकटिकम के अनुसार दंड प्रायः शास्त्रों के आधार पर दिया जाता था पर राजा कई बार उसमें हस्तक्षेप भी करता था। चारुदत्त को न्यायाधिकरण ने देशनिकाला का दंड दिया था परन्तु राजा पालक ने उसे मृत्युदंड दिया।[77]

मृच्छकटिकम में वर्णित न्याय प्रक्रिया से यह भी ज्ञात होता है कि तत्कालीन शासन विधान प्रायः मनु स्मृति के अनुसार कार्य करता था। न्याय प्रक्रिया अपराध और दंड के विषय में पूर्णतः मनु स्मृति का अनुसरण करती थी।मनुष्य ने न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले अभियोग के 18वर्ग बताये हैं– आदान, निक्षेप, अस्वाभिविक्रय, सम्भूयसमुत्थान, दत्तस्यान, पाकर्म, वेतन न देना, संविदा भंग करना, क्रयविक्रयानुशय, स्वामी तथा भृत्य के झगड़े, सीमा विवाद, दंडपारूध्यम, स्तेयसाहसम, स्त्रीसंग्रहण, स्त्री–पुरुष संबंध, दायभाग, पारूध्यम तथा द्यूत। मृच्छकटिकम में भी द्यूत, हत्या, चोरी और सेंधमारी के अपराध और अभियोग का वर्णन है। मृच्छकटिकम में ब्राह्मण को दंड में मिलने वाले कुछ छूट का वर्णन है। जैसे, ब्राह्मण को मृत्युदंड से छूट थी। अतः चारुदत्त के लिए देशनिकाला ही न्यायाधिकरण द्वारा संस्तुत किया जाता है कि– मनु ने कहा है कि 'ब्राह्मण पापी होकर भी वध के लिए योग्य नहीं है। किन्तु क्षतिरहित संपत्ति के साथ इसे राष्ट्र से निकाल देना चाहिए।' यहां यह ध्यातव्य है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी ब्राह्मण को मृत्युदंड से छूट दी गई है। यद्यपि मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को न्यायाधिकरण की संस्तुति के विरुद्ध जाकर राजा पालक द्वारा प्रत्यक्ष मृत्युदंड देने का वर्णन किया गया है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अपराध और दंड के विषय में शासक कई बार स्वेच्छापूर्वक निर्णय भी लेते थे।[78] मृच्छकटिकम से यह ज्ञात होता है कि राजसंबंधी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का दुष्प्रयत्न भी करते थे। नायक चारुदत्त पर जिस तरह से आरोप लगाने से लेकर दंड देने तक की कार्रवाई में राजा के साले शकार का हस्तक्षेप होता है उससे न्याय प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार का स्पष्ट ज्ञान होता है। इस भ्रष्टाचार को नाटककार शूद्रक ने छिपाया नहीं है वरन् पूरे विस्तार से दिखाया है। इसी भ्रष्ट व्यवस्था का अंत गोपाल आर्यक राजा पालक का वध करके करता है।[79] इस प्रकार यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रजा अंततः भ्रष्ट व्यवस्था को नहीं सह सकती थी।
(ऐ) मृच्छकटिकम के रचनाकाल में अश्वमेघ आदि यज्ञों का प्रभाव समाज में बना हुआ था। राजा पालक स्वयं यज्ञशाला में था जब उसे पदच्युत किया गया।[80]

यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि मृच्छकटिकम में कहीं भी गणराज्य या गणतंत्र पद्धति का उल्लेख नहीं है। सर्वत्र राजतंत्र की ही चर्चा है। पूरे कथानक में शासन का एकमात्र रूप ही चित्रित हुआ है। यहां तक कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी इस परिवर्तन का कर्ता गोपाल आर्यक भी राजतंत्र की ही स्थापना करता है और राजपद धारण करता है।[81] कथानायक चारुदत्त सहित अन्य पात्र और प्रजाजन भी उसे स्वीकृति एवं समर्थन देते हैं। तथापि वे उससे दायित्वपूर्ण और न्यायी शासन की अपेक्षा रखते

हैं।[82] इस भाव को वे भरतवाक्य में राज्य में सुशासन और समृद्धि की कामना के रूप में प्रकट करते हैं।[83] नया राजा गोपाल आर्यक एवं उसका मित्र शार्वलिक भी इसकी प्रतिज्ञा करते हैं।[84]

इन सभी तथ्यों के आलोक में कुछ बातें उभर कर सामने आती हैं। प्रथमतः मृच्छकटिकम मात्र मनोरंजक ललित साहित्य नहीं है। वह वास्तव में अपने समय को न सिर्फ प्रतिबिंबित करता है बल्कि तत्कालीन देश काल की राजनीति, धर्म, समाज एवं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रदर्शित करता है। द्वितीय, मृच्छकटिकम में अपने समय की राजनीतिक स्थिति, राजव्यवस्थाओं एवं तत्संबद्ध संस्थाओं को तो चित्रित किया ही गया है, साथ ही उसके प्रति तत्कालीन जनमानस का उसके प्रति अभिमत भी प्रकट किया गया है। अन्यायी शासन के प्रति प्रजाजन के रोष एवं उसके अंत पर प्रजाजन के हर्ष एवं समर्थन को भी प्रदर्शित किया गया है।[85]

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृच्छकटिकम में तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट प्रजा द्वारा सत्ता परिवर्तन के रूप में सर्वथा क्रांतिकारी विचार को प्रश्रय दिया गया है। इसके माध्यम से प्राचीन भारत में समय–समय पर होने वाली राजक्रांतियों अर्थात सत्ता परिवर्तनों के कारणों को भी विवेचित किया गया है।

इन सबके अतिरिक्त मृच्छकटिकम में वर्णित राजनीतिक विचार संबंधी विवरण प्राचीन भारत के संबंध में उन भ्रांतियों, मिथकों एवम अपवादों का खंडन करते हैं कि ''भारतीय इतिहास प्राच्य निरंकुशता, जड़वादी व्यवस्थाओं का इतिहास है। यहाँ प्राचीन काल से ही उद्दण्ड, निरंकुश एवम स्वेच्छाचारी राजतंत्रीय शासन रहा है। यहॉ की प्रजा राजनीतिक चेतना से शून्य एवम जड़ थी जिसे अपने भले–बुरे का ज्ञान न था। वह अन्यायी एवम अत्याचारी शासक को भी अपनी नियति मानकर झेलती रहती थी। अतः यहाँ कभी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते।''[86] इन सबके विरूद्ध मृच्छकटिकम में अपने समकालीन प्राचीन भारतीय जनों का राजतंत्र से शासित होने के साथ–साथ राजपद को एक दायित्वपूर्ण संस्था मानने वाला एवं उसका आकांक्षी बताया गया है।[87] और ऐसा न होने पर व्यवस्था परिवर्तन करने वाला एवं उसमें सहभागी बताया गया है। डॉ काशी प्रसाद जयसवाल ने ऐसे ही विवरणों के माध्यम से प्राचीन काल में ही उपस्थित राजतंत्र को सीमित राजतंत्र माना है।[88] साथ ही इसमें भरतवाक्य के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का भी प्रदर्शन किया गया है। संस्कृत नाटकों में भरतवाक्य मात्र कथानक के सुखद अंत को ही नहीं बल्कि राष्ट्रप्रेम से पूरित भावनाओं को भी अभिव्यक्त करते थे। मृच्छकटिकम में भी इसे स्थान दिया गया है। इसमें देश और समाज की समृद्धि व उन्नति एवं सुरक्षित जनजीवन की कामना इस आरोप का भी खंडन करती है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चेतना एवम राष्ट्रप्रेम की भावना से परिचित न थे।

इस प्रकार संस्कृत साहित्य भारत में राजनीतिक चिंतन को प्रकट करने के संदर्भ में सदैव ही समृद्ध रहे हैं। राजनीतिपरक साहित्यों के अतिरिक्त कथा साहित्य में भी राजनीतिक विचारों के उत्कृष्ट चित्रण से पूरित रहे हैं। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास अध्येताओं के अतिरिक्त राजनीतिक विचारों एवम चिंतन के अध्येता भी इस भाषा के साहित्य को वरीयता देते रहे हैं और अपने अध्ययन हेतु इनका उपयोग करते रहे हैं।

संदर्भ

1. जयशंकर लाल त्रिपाठी (अनुवाद), *मृच्छकटिकम्*, वाराणसीः चौखंबा कृष्णदास अकादमी, 2006, पृ० 14, 16
2. वही, पृ० 4
3. वही, पृ० 5
4. आचार्य जयशंकर मिश्र (अनुवाद), मृच्छकटिकम, वाराणसीः चौखंबा सुरभारती प्रकाशन, 2015, पृ० 9
5. पूर्वोक्त
6. वही, पृ० 8, 9
7. त्रिपाठी, पूर्वोक्त पृ० 8
8. मिश्र, पूर्वोक्त पृ० 8
9. वही, पृ० 9
10. वही, पृ० 8, 9
11. त्रिपाठी, पूर्वोक्त पृ० 13
12. वही, पृ० 14
13. वही, पृ० 15
14. मिश्र, पूर्वोक्त पृ० 11, 12

15. वही, पृ० 11
16. जयशंकर लाल त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम्*, हिन्दी व्याख्या, वाराणसीः चौखंबा कृष्णदास अकादमी, पृ० 202
17. त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम्*, भूमिका पृ० 74
18. वही, पृ० 31, 75
19. त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम्*, हिन्दी व्याख्या, पृ० 620, 634
20. वही पृ० 630
21. त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम्*, भूमिका, पृ० 75
22. वही पृ० 74,75, हिन्दी व्याख्या पृ० 647
23. त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम्*, हिन्दी व्याख्या, पृ० 381, 395
24. वही, पृ० 569, 611, 617
25. वही, पृ० 630
26. अनंत सदाशिव अल्टेकर, *प्राचीन भारतीय शासन पद्धति*, वाराणसीः विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2003, पृ० 73–75
27. त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम्*, हिन्दी व्याख्या, पृ० 629
28. वही, पृ० 398–99, 411
29. वही, पृ० 566, 585–86
30. वही, पृ० 420–21, 424, 634
31. वही, पृ० 398–99, 411
32. वही, पृ० 407
33. वही, पृ० 610–11
34. वही, पृ० 11
35. वही, पृ० 629–30, 633
36. वही, पृ० 634
37. वही, पृ० 629
38. वही, पृ० 648
39. वही, पृ० 507, 510
40. वही, पृ० 410–11
41. वही, पृ० 410–11, 534
42. वही, पृ० 137
43. वही, पृ० 137, 152, 158, 626
44. वही, पृ० 267
45. वही, पृ० 533
46. वही, पृ० 125, 161
47. वही, पृ० 423–24
48. वही, पृ० 485
49. वही, पृ० 648
50. वही, पृ० 507
51. वही, पृ० 14, 522
52. वही, पृ० 507, 518, 523
53. वही, पृ० 379
54. पूर्वोक्त
55. वही, पृ० 396, 404–405
56. वही, पृ० 397, 405
57. वही, पृ० 379
58. वही, पृ० 506, 541
59. वही, पृ० 197–99
60. वही, पृ० 199, 200–203
61. वही, पृ० 483–85, 533, 563
62. वही, पृ० 406–407, 542–44
63. वही, पृ० 402–03, 423–44, 525
64. वही, पृ० 423–44
65. वही, पृ० 406, 503–04
66. वही, पृ० 503
67. वही, पृ० 516–18
68. वही, पृ० 518, 522–23
69. वही, पृ० 523, 534–550

70. वही, पृ० 521–22, 541, 557–58
71. वही, पृ० 569
72. सुमन बाला, *मृच्छकटिकम : एक सांस्कृतिक अध्ययन,* इलाहाबादः राका प्रकाशन, 2007, पृ० 206
73. त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम,* हिन्दी व्याख्या, पृ० 152–53
74. वही, पृ० 406–07
75. वही, पृ० 565
76. वही, पृ० 564
77. वही, पृ० 565
78. सुमन बाला, पूर्वोक्त, पृ० 210
79. वही, पृ० 512–14, 534, 548–49, 554–55, 604–10
80. वही, पृ० 628–30
81. वही, पृ० 633–34
82. वही, पृ० 633–35, 649
83. पूर्वोक्त
84. वही, पृ० 652
85. पूर्वोक्त
86. वही, पृ० 628–31
87. ई. श्रीधरन, *इतिहास लेख,* 2011, पृ० 366, 376–77
88. त्रिपाठी, *मृच्छकटिकम,* हिन्दी व्याख्या, पृ० 652
89. काशी प्रसाद जयसवाल, *हिन्दू राज्यतंत्र, द्वितीय खंड,* 1924, पृ० 158–160.

संदर्भ ग्रंथ सूची

जयसवाल, काशी प्रसाद. 1924. *हिन्दू राज्यतंत्र.* वाराणसीः विश्वविद्यालय प्रकाशन, पुर्नसंस्करण 2013

दत्ता, एम० एन० (अनुवाद). *महाभारत.* नई दिल्लीः नाग प्रकाशन, 2016

द्विवेदी, शिवबालक (अनुवाद). *मृच्छकटिकम.* जयपुरः हंसा प्रकाशन, 2021

पाण्डेय, वी० के०. *प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवम संस्थायें.* इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन, 2012

पोद्दार, रामप्रकाश एवम देव, रमा (अनुवाद). *मृच्छकटिकम.* वाराणसीः चौखंबा ओरियंटालिया, 2021

बाला, सुमन. *मृच्छकटिकम : एक सांस्कृतिक अध्ययन.* इलाहाबादः राका प्रकाशन, 2007

मिश्र, आचार्य जयशंकर (अनुवाद). *मृच्छकटिकम.* वाराणसीः चौखंबा सुरभारती प्रकाशन, 2015

राघव, रांगेय (अनुवाद), 1964. *मृच्छकटिकम.* नयी दिल्लीः राजपाल एंड संस, पुर्नसंस्करण 2020

विद्यालंकार, सत्यकेतु. 1971. *प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार और संस्थायें.* नयी दिल्लीः श्री सरस्वती सदन, पुर्नसंस्करण 2010

शरण, परमात्मा. *प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार और संस्थायें.* मेरठः मीनाक्षी प्रकाशन, 2010

शर्मा, रामशरण. *प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें.* इलाहाबादः राजकमल प्रकाशन, 2010

शर्मा, हरिश्चंद्र. *प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवम संस्थाएं संस्थाएं.* जयपुरः कॉलेज बुक डिपो, 1960

श्रीधरन, ई०. *इतिहास लेख.* नई दिल्लीः ओरियंट ब्लैक स्वान, 2011

त्रिपाठी, जयशंकर लाल (अनुवाद). *मृच्छकटिकम.* वाराणसीः चौखंबा कृष्णदास अकादमी, 2006

त्रिपाठी, रामाशंकर (अनुवाद). *मृच्छकटिकम.* वाराणसीः मोतीलाल बनारसीदास, 2025